

मध्यप्रदेश शासन  
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग  
मंत्रालय  
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 28/5/2007

**क्रमांक एफ 8-1/2006/56:** राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्लान अंतर्गत प्रदेश में 9,232 कॉमन सर्विस सेन्टर (कम्प्यूटर गुमटियों) की स्थापना की योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :—

1. प्रदेश में 9232 कामन सर्विस सेन्टर स्थापित करने की योजना लागू करने पर सिद्धान्तः सहमति व्यक्त की जाती है।
2. इस योजना पर भारत सरकार से अनुदान बन्द होने पर कामन सर्विस सेन्टर self sustainable basis पर चलाई जावेगी।
3. योजना के क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम को राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी (SLNA) नियुक्त किया जाता है।
4. प्रदेश के प्रत्येक राजस्व संभाग को सर्विस सेन्टर एजेंसी के चयन के लिए भौगोलिक इकाई माना जाएगा तथा इस इकाई के आधार पर निविदायें आमंत्रित की जाएगी।
5. सामान्यतया 3 ग्राम पंचायतों के मध्य एक कॉमन सर्विस सेन्टर स्थापित किया जायेगा जिसके चयन का आधार निम्नानुसार होगा :—
  - a. चयन के लिए ब्लाक सबसे छोटी भौगोलिक इकाई माना जाएगा एवं ब्लाक में स्थित ग्राम पंचायतों में से कामन सर्विस सेन्टर का चयन किया जाएगा।
  - b. 3 ग्राम पंचायतों में से किसी एक का चुनाव करने के लिए निम्नलिखित सुविधाओं की अधिकाधिक उपलब्धता का ध्यान रखा जावेगा :—
    - i. ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज,
    - ii. हाट बाजार,
    - iii. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,
    - iv. हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल,
    - v. मंडी परिसर,
    - vi. कृषि विभाग का कार्यालय,
    - vii. पोस्ट ऑफिस,

6. शासन के किसी भी विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का पृथक इन्फास्टक्चर स्थापित करने के पूर्व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से अनिवार्यतः परामर्श लिया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(अनुराग श्रीवास्तव)  
अपर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग